

भारत निर्वाचन आयोग  
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

सं.3/4/आईडी/2016/एस डी आर-खंड ।

तारीख : 2 मई, 2016

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
केरल  
तिरुवनंतपुरम

विषय : केरल विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2016 - निर्वाचकों की पहचान के बारे में आयोग का आदेश महोदय,

मुझे केरल विधान सभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन में निर्वाचकों की पहचान के बारे में आयोग के तारीख 2 मई, 2016 के आदेश को इसके साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

2. आयोग ने निदेश दिया है कि ऐसे सभी निर्वाचकों, जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ई पी आई सी) जारी किया गया है, को अपना मत डालने से पूर्व मतदान केंद्र में अपनी पहचान के लिए ई पी आई सी दिखाना होगा। जो निर्वाचक ई पी आई सी दिखाने में असमर्थ होंगे, वे अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए आदेश के पैरा 8 में उल्लिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को दिखाएंगे।

3. ई पी आई सी की दशा में, उनमें की प्रविष्टियों में छोटी-मोटी विसंगतियों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए बशर्ते कि निर्वाचक की पहचान ई पी आई सी द्वारा प्रमाणित हो जाए। यदि कोई निर्वाचक दूसरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाता है तो ऐसे पहचान पत्रों को भी पहचान के लिए स्वीकार किया जाएगा बशर्ते उस निर्वाचक का मत उस मतदान केंद्र, जहां निर्वाचक मतदान के लिए आया है, से संबंधित निर्वाचक नामावली में हो। यदि फोटो आदि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान प्रमाणित करना संभव नहीं है, तो निर्वाचक को आदेश पैरा 8 में उल्लिखित वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को दिखाना होगा।

4. प्रवासी निर्वाचकों को पहचान के लिए केवल अपने मूल पासपोर्ट दिखाने होंगे।

5. आदेश को रिटर्निंग आफिसर और सभी पीठासीन अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए। स्थानीय भाषा में अनूदित आदेश की एक प्रति प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को प्रदान की जानी चाहिए।

6. आयोग के तारीख 2 मई, 2016 के आदेश को शीघ्र ही केरल में प्रकाशित करवाया जाए। इस आदेश का जनसाधारण एवं निर्वाचकों की सूचना के लिए प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए। उक्त साधारण निर्वाचनों में लड़ रहे सभी अभ्यर्थियों को भी आयोग के इस निदेश की लिखित में सूचना दी जाए।

7. कृपया ध्यान दें कि प्ररूप 17क (मतदाता रजिस्टर) के स्तंभ (3) में, पहचान दस्तावेज के अंतिम चार अंकों का उल्लेख किया जाना चाहिए। ई पी आई सी और अधिप्रमाणित फोटो मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान करने वाले निर्वाचकों की दशा में, यह पर्याप्त होगा कि क्रमशः ई पी (ई पी आई सी का निरूपण) और 'वी एस' (फोटो मतदाता पर्ची का निरूपण) का उल्लेख सुसंगत स्तंभ में किया जाए और ई पी आई सी संख्या या फोटो मतदाता पर्ची संख्या को लिखना आवश्यक नहीं है। तथापि, किसी वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर मतदान करने वाले निर्वाचकों की दशा में, दस्तावेज के अंतिम चार अंकों को लिखने संबंधी अनुदेश लागू रहेंगे। दिखाए गए दस्तावेज के प्रकार का भी उसमें उल्लेख किया जाना चाहिए।

8. रिटर्निंग आफिसर को इस आदेश के निहितार्थ को नोट करने और उसकी विषय वस्तुओं को विशेष ब्रीफिंग के माध्यम से सभी पीठासीन अधिकारियों को स्पष्ट करने का अनुदेश दिया जाएगा। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस पत्र की एक प्रति निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों/बूथों पर पीठासीन अधिकारियों के पास उपलब्ध हो।

9. कृपया पावती भेजें एवं की गई कार्रवाई की पुष्टि करें।

भवदीय

(एन. टी. भूटिया)  
अवर सचिव

**आदेश**

1. यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में उपबंध किया गया है कि उस अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों के मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, निर्वाचकों का प्रतिरूपण रोकने के उद्देश्य से, मतदान के समय अपनी पहचान प्रमाणित करने के साधन के रूप में निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग के लिए उस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा उपबंध किए जाएं; तथा
2. यतः निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 द्वारा निर्वाचन आयोग को यह निदेश देने के लिए अधिकृत किया गया है कि वह निर्वाचकों का प्रतिरूपण रोकने तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सुकर करने के उद्देश्य से राज्य की लागत से निर्वाचकों को फोटोयुक्त निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी करें; तथा
3. यतः निर्वाचकों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49ज(3) और 49ट(2) (ख) में निर्धारित किया गया है कि जहां निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदान किया गया है, वहां निर्वाचक मतदान केंद्र में अपने निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे तथा ऐसे निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाने में उनकी विफलता या इंकार से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी; और
4. यतः उक्त अधिनियम एवं नियमों के यथोक्त उपबंधों को संयुक्त रूप से और ध्यानपूर्वक पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि, निर्वाचक नामावली में नाम के होने से ही मत देने के अधिकार की उत्पत्ति होती है तथापि, यह निर्वाचक फोटो पहचान पत्र, जहां यह राज्य लागत पर निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया गया है, को मतदान के समय अपनी पहचान प्रमाणित करने के साधनों के रूप में प्रयोग पर भी निर्भर करता है और दोनों का प्रयोग एक साथ किया जाना चाहिए; तथा
5. यतः निर्वाचन आयोग ने 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश दिया था जिसमें सभी निर्वाचकों को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ई पी आई सी) जारी करने का निदेश दिया गया था; तथा
6. यतः केरल राज्य में सभी रजिस्ट्रीकृत निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किया जा चुका है।
7. यतः इसके अतिरिक्त, आयोग ने निदेश दिया है कि 'अधिप्रमाणित फोटो मतदाता पर्ची' को वर्तमान साधारण निर्वाचन के लिए मतदान की तारीख से पूर्व निर्वाचकों को वितरित किया जाएगा;
8. अतः अब सभी सुसंगत तथ्यों और विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में लेने के बाद, निर्वाचन आयोग एतद्वारा निदेश देता है कि केरल विधान सभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन, जो 22.04.2016 अधिसूचित किया गया है, के लिए सभी निर्वाचक, जिन्हें ई पी आई सी जारी किया गया है, अपना मत डालने से पूर्व मतदान केंद्र में अपनी पहचान के लिए ई पी आई सी दिखाएंगे। जो निर्वाचक ई पी आई सी दिखाने में समर्थ नहीं हैं, वे अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाएंगे :-
  - (i) पासपोर्ट;
  - (ii) ड्राइविंग लाइसेंस;
  - (iii) केंद्रीय/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र;
  - (iv) बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक (सहाकारी बैंक द्वारा जारी पासबुक के सिवाय);
  - (v) पैनकार्ड;
  - (vi) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन पी आर) द्वारा भारत के महारजिस्ट्रार (आर जी आई) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड;
  - (vii) मनरेगा कार्य कार्ड;
  - (viii) श्रम मंत्रालय की योजना के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड;
  - (ix) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज;
  - (x) निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी अधिप्रमाणित फोटो मतदाता पर्ची, और

(xi) सांसदों/एम एल ए/एम एल सी को जारी शासकीय पहचान पत्र

9. ई पी आई सी की दशा में, उनमें की प्रविष्टियों में लिपिकीय त्रुटियों, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां आदि को नजरअंदाज किया जाना चाहिए बशर्ते कि निर्वाचक की पहचान ई पी आई सी द्वारा प्रमाणित हो जाए। यदि कोई निर्वाचक दूसरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाता है, तो ऐसे पहचान पत्रों को भी पहचान के लिए स्वीकार किया जाएगा बशर्ते उस निर्वाचक का मत उस मतदान केंद्र, जहां निर्वाचक मतदान के लिए आया है, से संबंधित निर्वाचक नामावली में हो। यदि फोटो आदि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान प्रमाणित करना संभव नहीं है, तो निर्वाचक को आदेश पैरा 8 में उल्लिखित वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को दिखाना होगा।

10. उपर्युक्त पैरा 8 में किसी बात के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचक, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में रजिस्ट्रीकृत हैं, अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर, मतदान केंद्र में केवल अपने मूल पासपोर्ट (और कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर पहचान किए जाएंगे।

आदेश द्वारा

(अनुज जयपूरियार)  
सचिव